प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 12.05.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 15 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 350 वाहनों से 4,21,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 12.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 350 वाहनों से 4,21,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत सम्बन्धित 164/2026 धारा 191(2) / 115(2) / 352 / 351(3) / 109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता अनिल कुमार पुत्र हरिनरायन निवासी ग्राम नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 12.05.2026 को नन्दौर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 10.05.2026 को वादिनी श्रीमती सीमा पत्नी गब्बूलाल निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन व पैसे की बात को लेकर उनके पुत्र सुमित को नन्दौर चौराहे पर जान से मारने की नीयत से मारपीट के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त को आज दिनांक 12.05.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- वरि0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, हे0का0 अमित सिंह, का0 प्रमोद शर्मा।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 217/2026 धारा 108 बीएनएस मे वाँछित अभियुक्त आत्मा पुत्र लालमन निवासी मूड़ाडीहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को थाना धनघटा परिसर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी श्री बृजलाल साहनी पुत्र दयाराम साहनी निवासी मोहम्मदपुर माफी टोला खरबुजहवा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर द्वारा दिनाँक 17.04.2026 को थाना धनघटा पर प्रार्थना पत्र दिया कि वादी की पुत्री छाया को उक्त अभियुक्त द्वारा बार बार मारपीट की गयी जिससे तंग आकर वादी की पुत्री ने आत्महत्या कर लिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 12.05.2026 को घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- अपराध निरीक्षक श्री रामेश्वर यादव।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने के मामले में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 12.05.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एफटीसी /ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री अर्जुन बेलदार पुत्र भुल्लुर निवासी नटवावर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर अभियुक्तगण 01. राजमती पत्नी रामजस 02. नीलू पत्नी अमरजीत 03. अमरजीत पुत्र रामजस निवासीगण नटवावर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री सत्यनाम द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 162/2010 धारा 323, 504,506 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त को उक्त प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने पर अन्तर्गत धारा 323,504,506 भादवि के तहत न्यायालय उठने तक की सजा व 2000-2000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 07-07 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के अपराध में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 12.05.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) /ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा थानाध्यक्ष बखिरा श्री प्रमोद कुमार द्वारा थाना बखिरा पर अभियुक्त शमशाद पुत्र मो0 उमर निवासी पवरिहा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को 04 अदद अवैध जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री विजय कुमार पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 224/2006 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।